<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 191/2020 जिला टोंक

1. गणेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नायक निवासी डारहातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक(राज0) हाल मुकाम छावनी टोक राज0।
2. नानगीदेवी पत्नि स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति नायक निवासी डारहातुर्की तहसील पीपलू हाल मुकाम मोहल्ला छावनी टोंक राज0।

—अपीलांटस

बनाम्

तहसीलदार टोंक हाल तहसीलदार पीपलू।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 08.12.1988 प्रा0पत्र संख्या 46/1987 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री सीताराम विजय(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—16.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट नम्बर 1 के पिता व अपीलांट नम्बर 2 के पति स्व0 लक्ष्मीनारायण पुत्र सुन्दरा नायक ग्राम डारडातुर्की को दिनांक 16.11.1975 को ग्राम रहीमपुरा मे 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 46/1987 में बाद सुनवाई काश्त नहीं करना मानते हुए उक्त आवंटन को दिनांक 08.12.1988 के निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है—

1. मूल आवंटी लक्ष्मीनारायण का कब्जाकश्त था तथा मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा उनकी अनुपस्थिति में बनाई गई है।

2. लक्ष्मीनारायण भूमिहीन अनुसूचित जाति का सदस्य था और वृद्ध व्यक्ति था। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा खसरा नम्बर 79 रकबा 3 बिघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 80 रकबा 16 बिस्वा कुल 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि ग्राम रहीमपुरा बाबत भूमि आवंटन निरस्तीकरण निर्णय दिनांक 08.12.1988 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार लक्ष्मीनारायण वृद्ध होने से दमा से पीड़ित थे तथा उन्हें न्यायालय आने जाने में परेशानी होती थी इस कारण उन्हे अभिभाषक द्वारा निर्णय की जानकारी दिये जाने का आश्वासन देदिया था। [illegible] उनके अभिभाषक द्वारा जानकारी नहीं दी गई। वर्तमान अपीलांट संख्या 1 नाबालिग था तथा अपीलांट नम्बर 2 बेवा औरत जात होने से उसे मुकदमे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। [illegible] 21.05.2009 को सर्वप्रथम पटवारी हल्का से उन्हें जानकारी मिली थी। [illegible] की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 28.05.2009 को नकल प्राप्त की और तुरंत अपील प्रस्तुत की गई। देरी की क्षमा किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील दिनांक 01.06.2009 को आरएए टोंक में प्रस्तुत की गई थी तथा वहां विचाराधीन रही थी। राजस्थान ग्रुप–6 भाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के द्वारा क्षेत्राधिकार राजस्व अपील अधिकारी से समाप्त कर संभागीय आयुक्त को दिये जाने से उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि मूल आवंटी लक्ष्मीनारायण था जो दमा पीड़ित था। निर्णय के समय अपीलांट नाबालिग था। उन्हें निर्णय की जानकारी दिनांक 21.05.2009 को हुई। नकल दिनांक 28.05.2009 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 01.06.2009 को अपील प्रस्तुत कर दी गई। जो जमीन हमे आवंटित की गई थी। वह जमीन बारानी किस्म की थी। जिस पर हर वर्ष काश्त हो जरूरी नहीं। आवंटी जाति से नायक है। आवंटन दिनांक 16.11.1975 का है तथा आवंटन 13 वर्ष बाद खारिज किया गया जो उचित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन के प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में काश्त नहीं करने का निष्कर्ष लिया है जबकि स्वयं तहसीलदार द्वारा काश्त करना बताया है। अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जायें।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय के समय अपीलांट संख्या 1 नाबालिग था तथा अपीलांट का पिता मूल आवंटी लक्ष्मीनारायण वृद्ध व्यक्ति था तथा दमे से पिड़ित था और उसके अभिभाषक द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उसे नही दी गई थी तथा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उन्हें दिनांक 21.05.2009 को पटवारी हल्का से हुई उसके तुरंत बाद दिनांक 28.05.2009 को नकल प्राप्त कर अतिशीघ्र अपील आएए न्यायालय टोंक में प्रस्तुत की गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरएए न्यायालय मे अपील दिनांक 01.06.2009 अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

अपीलांट को आवंटन दिनांक 16.11.1975 को होना बताया है। वर्तमान में संवत 2079 चल रहा है। इसके अनुसार आवंटी को आवंटन संवत 2032 में किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2038–41 ग्राम रहीमपुरा के अनुसार नामातंरण संख्या 11 दिनांक 16.11.1975 से मूल आवंटी लक्ष्मीनारायण पुत्र सुन्दरा कौम नायक साकिन डारडातुर्की गैर खातेदार के रूप में दर्ज था। खसरा गिरदावरी ग्राम रहीमपुरा संवत 2033 में उक्त खसरा नम्बर 79 और 80 सिवायचक दर्ज थे तथा इनमें फसल बोई गई थी तथा इनमें खरीफ में ज्वार बोया जाना पाया गया है। संवत 2034 में गोदमी फसल बोया जाना अभी दृष्टिगोचर होता है। संवत 2034 की खसरा गिरदावरी के अंकन के नीचे की ओर नोट लगा हुआ है। जिस पर यह लिखा हुआ है आवंटी का कब्जा नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा मुख्य रूप से यह माना गया है कि आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत और अग्रिम वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त नहीं किया है तथा पटवारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि आवंटी का मौके पर कब्जा ही नहीं है तथा अपने निर्णय में खसरा गिरदावरी 2033–35 को महत्वपूर्ण रूप से उनके द्वारा काम [illegible] गया है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में काश्त बाबत शर्त [illegible] उल्लघंन आवंटन नियम 14(3) के अनुसार माना है तथा इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:57 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मात्र खसरा गिरदावरी के पुश्त पर पटवारी द्वारा अंकन को जिसमें उसने आवंटी का कब्जा नहीं होना अंकित किया है को ही पटवारी रिपोर्ट मान लिया गया है। स्वतंत्र रूप से पटवारी की कोई मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। खसरा गिरदावरी संवत 2033 और 2034 में ग्राम रहीमपुरा खसरा नम्बर 79 और 80 में फसल काश्त करना अंकित किया हुआ है तथा काश्त का रकबा भी आवंटित क्षेत्रफल के अनुसार ही दर्शाया हुआ है। मौका पटवारी का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है। आवंटी अनुसूचित जाति का सदस्य था। अपील के अनुसार वह एक वृद्ध व्यक्ति था तथा दमा से पीड़ित था। आवंटन निरस्तीकरण बहुत वर्षो बाद (13 वर्ष बाद) किया गया है। जो न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत है। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का सही तरीके से विश्लेषण नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय दस्तावेजी साक्ष्यों के विरूद्ध दिया है जो उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.1988 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 08.12.1988 प्रा0पत्र संख्या 46/1987 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण अन्तर्गत नियम 14(4) भूमि आवंटन निरस्तीकरण एल0आर0एक्ट–1956 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:57 IST
Reason: SelfAttested